**राजस्थान सरकार**
**चिकित्सा एंव स्वास्थ्य(ग्रुप–2)विभाग**

प0 34(38)चिस्वा/2/2014 जयपुर, दिनांक 23/09/2014

1. समस्त संयुक्त निदेशक,
जोन जयपुर/जोधपुर/अजमेर/कोटा
/बीकानेर/उदयपुर/भरतपुर, राजस्थान

2. निदेशक(जन एवं स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राज0, जयपुर।

विषयः– दिनांक 28.09.2014 को संभाग स्तरीय द्विमासिक जागरूकता कार्यक्रमक/वर्कशाप आयोजन के कम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का पत्र कमांक रालसा/2014/13428 दिनांक 18.0.2014 की छाया प्रति संलग्न कर निर्देशानुसार लेख है कि दिनांक 28.09.2014 को संभाग स्तरीय द्विमासिक जागरूकता कार्यकमक में संभाग/जिला मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारीगण को निर्देशित करें कि उक्त कार्यशाला को सफल बनाने एवं उस जिले के अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सकिय योगदान प्रदान करें हेतु प्रकरण में दिनांक 28.09.2014 से पूर्व नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से इस विभाग को अवगत कराने का श्रम करें।

**<u>कृपया इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।</u>**

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(महावीर सिंह)
**शासन संयुक्त सचिव**

प्रतिलिपि निम्नांकित को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें:–

1. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर शाखा, जयपुर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल राजस्थान ।
4. प्रभारी, सर्वर रूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि मय संलग्नक पत्र सहित अपलोड कराने की व्यवस्था करावें।

**सहायक शासन सचिव,**

# राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

**RAJASTHAN HIGH COURT CAMPUS , JAIPUR BENCH, JAIPUR**

**(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.2385877)**


क्रमांकः रालसा/2014/ 13526 दिनांकः 18-9-14

प्रेषितिः—

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थय सेवाएं
शासन सचिवालय, जयपुर।

520

**विषयः दिनांक 28.9.2014 को संभाग स्तरीय द्विमासिक जागरूकता कार्यक्रम/वर्कशाप आयोजन के क्रम में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा दिनांक 12.7.2014 को आयोजित अखिल भारतीय बैठक में लिये गये प्रस्तावानुसार राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा **दिनांक 28.9.2014** को प्रदेश में संभाग स्तरीय द्विमासिक जागरूकता कार्यक्रम के तहत " **बाल विवाह एवं बाल तस्करी प्रतिषेध व बालकों के अधिकारः भविष्य का संचय** " विषय पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। उक्त संभाग स्तर आयोजित कार्यशाल की अध्यक्षता माननीय न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा की जावेगीं।

अतः आप संभाग/जिला मुख्यालय पर आपके विभाग के पदस्थापित अधिकारीगण को निर्देशित करने का श्रम करें कि उक्त कार्यशाला को सफल बनाने एवं उस जिले के अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सक्रिय योगदान प्रदान करें।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करावें।

"सादर"

भवदीय

(के.बी. कट्टा)
सदस्य सचिव

Most urgent

क्रमांकः दिनांकः

प्रतिलिपि अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सदस्य सचिव